फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

सन्तरो आदि बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–8(2) कोलो. एक्ट प्रकरण संख्याः–51/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित बहस सुनी गई। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 के एन डी के प0 न0 152/10 के कि0न0 1 ता 5 प्रत्येक में 0.02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करें व इसी पत्थर के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 प्रत्येक में 0.02 बिस्वा व प0 न0 152/18, 152/26, 152/34 के कि0न0 21 ता 25 प्रत्येक में 0.02 बिस्वा रास्ता निरस्त करने की कृपा करें व प्रार्थीगण के खाता में उक्त रकबा को कृषि योग्य दर्ज करें। प्रकरण दर्ज अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/रास्ता/1856 दिनांक 23/12/2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौका अनुसार प्रार्थीगण का स्वीकृत रास्ता होने व प0न0 152/10 की शेष भूमि गजट में होने के कारण नियमानुसार वादीगण का दावा उचित प्रतीत नहीं होता। रिपोर्ट आने के बाद वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में जो रास्ता दर्ज है वह सहवन से गलत दर्ज है उसे निरस्त कर नया रास्ता चक 2 के एन डी के प0न0 152/10 के 1 ता 5 प्रत्येक में 0.02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। व इसी पत्थर के शेष किलों में जो रास्ता है उसे निरस्त किया जावे व इसी पत्थर से मिलान होने वाले प0 न0 152/18, 152/26, 152/34 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.02 बिस्वा रास्ता निरस्त कर कृषि योग्य भूमि दर्ज की जावे। उक्त रास्ता कभी भी उपयोग में नही हो रहा है। इसलिए इसे निरस्त किया जाना उचित है व नया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन कर बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत व निरस्त करने का निवेदन किया है लेकिन मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण के खाता को स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। इसलिए नये रास्ता की मांग नहीं कर सकता व जो नया रास्ता मांग रहा है वो पत्थर नं. 152/10 का रकबा गजट में प्रकाशित है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:59:57 IST
Reason: SelfAttested